न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :–34 / 2021

उनवान

1. मीना संगतानी पत्नी अशोक संगतानी जाति सिंधी निवासी नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. प्रेम पत्नी मदन जाति जाट निवासी लोहरवाडा
2. सुरता पत्नी नारायण जाति जाट निवासी मोडी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1, 2 एक पक्षीय कार्यवाही

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनांक :–9.3.22

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 1484 / 252 खसरा नम्बर 3215, 3216 रकबा 0.57, 0.58 ग्राम देराठू में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहकाश्तकारी की भूमि है। वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का आज दिनांक तक बंटवारा नहीं हुआ है। अतः वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया। व वादग्रस्त आराजियात का अन्यत्र बय,बेचान, रहन या अन्य तरीके से हस्तांतरण नहीं करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज0 पेरोकार ने जवाब पेश नहीं कर निवेदन किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे।

प्रकरण में वाद के समर्थन में वाद का प्रारूप नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गयी।

अधिवता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2073–76 दस्तावेज प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:31:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वकील वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया।

वादी द्वारा ग्राम देराठू के खाता संख्या 1484/252 खसरा नम्बर 3215, 3216 रकबा 0.57, 0.58 हैक्टर की वर्तमान जमाबन्दी पेश की है जिसमें प्रेम पत्नी मदन जाति जाट, मीना संगतानी पत्नी अशोक संगतानी जाति सिंधी, सुरता पत्नी नारायण जाति जाट के नाम दर्ज है। आराजी मुतनजा वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। वादग्रस्त आराजी के विभाजन से उभयपक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहें है। प्रतिवादीगण कोई आपत्ती हो तो विभाजन प्रस्ताव के समय पेश कर सकते है। आराजी मुतनाजा का विभाजन भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर किया जाना ही न्यायोचित है।

अतः ग्राम देराठू के खाता संख्या 1484/252 खसरा नम्बर 3215, 3216 रकबा 0.57, 0.58 हैक्टर की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9/3/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:31:34 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

मीना संगतानी बनाम प्रेम

दावा बाबत :— 53, 188, रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर —34/2021
पेश करने की दिनांक — 30.3.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई सरकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम देराठू के खाता संख्या 1484/252 खसरा नम्बर 3215, 3216 रकबा 0.57, 0.58 हैक्टर की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 7 माह 03 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:31:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

मीना संगतानी बनाम प्रेम

दावा बाबत :– 53,188 रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –34/21
पेश करने की दिनांक – 30.3.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के खसरा नम्बर 3215/1, 3216/1 रकबा 0.2850, 0.2900 पर श्रीमती मीना संगतानी पत्नी अशोक संगतानी हि. 1/2 जाति सिंधी को खसरा नम्बर 3215/2, 3216/2 रकबा 0.2850, 0.2900 पर श्रीमती प्रेम पत्नी मदन हि. 1/4, श्रीमति सुरता पत्नी नारायण हि1/4 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करें।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 08 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:31:34 IST
Reason: SelfAttested